



म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरिरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल
pranganmpsamb12@gmail.com

क्रमांक/मंडी/न.म./23/5/उमरिया/ 1670

भोपाल, दिनांक 18/12/2024

// आदेश //

मध्य प्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 की कंडिका 12 के तहत "राज्य शासन के किसी विभाग को नजूल भूमि के हस्तांतरण हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा कलेक्टर को प्ररूप 1 में आवेदन किये जाने का प्रावधान है।"

उक्त अनुक्रम में प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के प्रांगण विस्तार/अतिरिक्त प्रांगण हेतु भूमि के लिए आवेदन करने के लिए सचिव, कृषि उपज मंडी समिति को अधिकृत किया जाता है।

सचिव, कृषि उपज मंडी समिति सुनिश्चित करेंगे कि आवेदन पूर्व मंडी अधिनियम की धारा 7(2) अंतर्गत सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही भूमि अर्जन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

(कुमार पुरुषोत्तम)

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/मंडी/न.म./23/5/उमरिया/ 1671

भोपाल, दिनांक 18/12/2024

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. आयुक्त (राजस्व) संभाग(समस्त)।
2. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
3. कलेक्टर, जिला(समस्त)।
4. अपर संचालक(समस्त), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
5. संयुक्त संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय.....(समस्त)।
6. भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मंडी समिति.....(समस्त)।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल